

Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् छिन्द्रपाल सिंह बनाम बग्गा सिंह वगैरा किस्म मुकदम् 53-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 65/2021

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
--------------------------	-------------------------	---------------------

29/12/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 08 की तलबी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु न्यायालय द्वारा 35 अवसर प्रदान किये गये। तलबी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु बार-बार न्यायालय द्वारा हिदायत दी गई। वकील वादी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 08 की तलबी रजिस्टर्ड से करवाने की हिदायत देने के बावजूद आदिनांक तक तलबी नहीं करवाई गई है। रजिस्टर्ड तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन पेश नहीं किये गये हैं। वादी न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04/01/2022 से प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस देने में विफल रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 09 नियम 05 के तहत सम्मन/नोटिस देने में वादी/प्रार्थी के असफल रहने के परिणामस्वरूप इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आदिनांक 29/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुंतला

उपखण्ड अधिकारी

श्रीविजयनगर

